[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 3, Subsection (i)]

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, 25th January, 2021

G.S.R.....(E)._ In exercise of the powers conferred by section 3, sub-section (1) of section 7 and sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Incorporation) Rules, 2014, namely: -

- 1. (1) These rules may be called the Companies (Incorporation) Amendment Rules, 2021.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
- 2. In the Companies (Incorporation) Rules, 2014, in Rule 41,-
- (a) in sub-rule (6),
- (i) in clause (c), for the words, brackets and figure "sub-rule (6)" the words, brackets and letter "clause (b)" shall be substituted:
- (ii) clause (d) shall be omitted;
- (iii) the existing sub-rules (9), (10), (11) shall be renumbered as sub-rules (7), (8) and (9) respectively;
- (b) for sub-rule (7) as so renumbered, the following sub-rule shall be substituted with the following rule, namely:-
- "(7) (i) Where an objection has been received or Regional Director on examining the application has specific objection under the provisions of the Act, the same shall be recorded in writing and the Regional Director shall hold a hearing or hearings within a period of thirty days as required and direct the company to file an affidavit to record the consensus reached at the hearing, upon executing which, the Regional Director shall pass an order either approving or rejecting the application along with the reasons within thirty days from the date of hearing.
- (ii) In case where no consensus is received as referred in clause (i), the Regional Director may approve the conversion, if he is satisfied having regard to all the circumstances of the case, that the conversion would not be against the interests of the company or is not being made with a view to contravene or to avoid complying with the provisions of the Act, with reasons to be recorded in writing:

Provided that the conversion shall not be allowed if any inquiry, inspection or investigation has been initiated against the company or any prosecution is pending against the company under the Act.".

[F. No. 1/13/2013 CL-V, Vol.III]

K.V.R. MURTY, Joint Secretary.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 250(E), dated the 31st March, 2014 and last amended *vide* number G.S.R.795(E) dated the 24th December, 2020.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली,25 जनवरी, 2021

सा.का.नि._____(अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 3, धारा 7 की उप-धारा (1) और धारा 469 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (निगमन) निराम, 2014 में और संशोधन करने के लिए निम्निलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का नाम कंपनी (निगमन) संशोधन नियम, 2021 है।
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. कंपनी (निगमन) नियम, 2014 में, नियम 41 में,
 - (क) उप-नियम (6) में,
 - (i) खंड (ग) में, "उप-नियम (6)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर "खंड (ख)" शब्द्र, कोष्ठक और अक्षर रखा जाएगा;
 - (ii) 3प-नियम (6) में, खंड (घ) को विलोपित किया जाएगा;
 - (iii) मौजूदा उप-नियम (9), (10), (11) को क्रमशः उप-नियम (7), (8) और (9) के रूप में पुनः क्रमांकित कि ग जाएगाः
 - (ख) तद्नुरूप क्रमांकित के रूप में उप-नियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(7)(i) जहां कहीं भी कोई आमित्त प्रण्त हो गई है अथवा इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन आवेदन के परीक्षण के उपरांत क्षेत्रीय निदेशक ने विशेष आपित्त की है, जिसे लिखित में दर्ज किया जाएगा और क्षेत्रीय निदेशक तीस दिन की अविध के भीतर सुनवाई अथवा सुनवाईयां करेंगे, जैसा कि अपेक्षित हो और कंपनी को सुनवाई के दौरान बनी सर्वानुमित को दर्ज करने के लिए एक शपथपत्र फाइल करने का जिदेश देगा, जिसे निष्पादित करने के उपरांत, क्षेत्रीय निदेशक सुनवाई की तारीख से 30 दिन के भीतर कारणों के साथ आवेदन को या तो अनुमोदित करने या निरस्त करने संबंधी एक आदेश पारित करेगा।

(ii) यदि जहां कहीं खंड (i) में यथा संदर्भित कोई सर्वानुमित नहीं बनती है तो क्षेत्रीय निदेशक संपरिवर्तन को अनुमोदित कर सकते हैं, यदि वह मामले की सभी परिस्थितियों के संबंध में संतुष्ट है कि यह संपरिवर्तन कंपनी के हितों के विरुद्ध नहीं होगा अथवा इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन अधवा अनुपालन को टालने के मद्देनजर लिखित में कारण दर्ज करते हुए किया जा रहा है:

परंतु यह कि संमरिवर्तन की अनुमित नहीं दी जाएगी यदि कोई जांच, निरीक्षण अथवा अन्वेषण कंपनी के विरूद आरंभ कर दिया गया है या इस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के विरूद्ध कोई अभियोजन लंबित है।"।

[फा.सं.1/13/2013-सीएल-V, खंड.III]

के.वी-3नार मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल नियम भारत के राजपत्र, साधारण, भाग ॥, खंड 3, उप-खंड (i) तारीख 31 मार्च, 2014 की सा.का.नि. सं. 250(अ) के जिरए प्रकाशित किए गए और तारीख 24 दिसंबर, 2020 की सा.का.नि. सं. 795(अ) के जिरए अंतिम बार संशोधित किए गए।